संख्याः 3215/ 33–3–2015–10जी.आई./2015

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1.समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

2.समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

पंचायती राज अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 11 दिसम्बर, 2015

विषय– ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार किये जाने हेतु जनपद में की जाने वाली गतिविधियों के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पंचायती राज विभाग के शासनादेश संख्याः 2618/33–3–2015–10 जीआई /2015 दिनांक 29 सितम्बर, 2015 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके अन्तर्गत ग्राम पंचायतों के समग्र विकास हेतु पंचायतों द्वारा स्वयं की ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार किये जाने के निर्देश दिये गये है।

उक्त शासनादेश के अन्तर्गत यह भी निर्देश दिये गये हैं कि ग्राम पंचायतें स्वयं की आय बढाने एवं समग्र विकास हेतु पंचवर्षीय एवं वार्षिक योजना का निर्माण करेंगी। ग्राम पंचायतों द्वारा तैयार की जाने वाली ग्राम पंचायत विकास योजना सहभागी नियोजन एवं विभिन्न संसाधनों के अभिसरण (कनवर्जेन्स) पर आधारित होगी।

उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ हैं कि ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण हेतु वर्णित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए जनपद से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक विभिन्न गतिविधियॉं सम्पादित की जानी है। गतिविधियों के क्रियान्वयन के दौरान आवश्यक है कि जन समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हो ताकि समुदाय की समझ बढे तथा समुदाय के लोगों में अपने उत्तरदायित्व का बोध हो सके। इन गतिविधियों के बेहतर क्रियान्वयन में जिला स्तरीय क्रियान्वयन एवं समन्वयन समिति (कृपया शासनादेश 29.09.2015 का पृष्ठ सं0 6 देखें) की भूमिका महत्वपूर्ण है। जनपद में योजना निर्माण की प्रक्रिया में आरम्भ से लेकर ग्राम पंचायतों द्वारा योजना का निर्माण पूर्ण होने तक जनपद से ग्राम पंचायत स्तर तक निम्नलिखित गतिविधियों का किया जाना आवश्यक हैः–

क्र. सं.	विषय	गतिविधि	विवरण
1.	वातावरण निर्माण	जिला स्तरीय क्रियान्वयन एवं समन्वयन समिति का निर्माण, समिति	जनपद स्तर से ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण की प्रक्रिया का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन जिला स्तरीय समिति द्वारा 3 माह में एक बार किया जायेगा। इस पूरी प्रक्रिया के बेहतर क्रियान्वयन हेतु आवश्यक

		की बैठक का आयोजन एवं रणनीति का निर्धारण।	है कि जनपद द्वारा स्वयं की रणनीति तैयार की जाये। इस संबंध में जिला समिति द्वारा बैठक का आयोजन कर बैठक में चर्चा एवं रणनीति का निर्माण किया जाये। जिला स्तरीय क्रियान्वयन एवं समन्वयन समिति के कार्य संलग्नक–1 में वर्णित है।
2.	वातावरण निर्माण	10 ग्राम पंचायतों पर 1 क्लस्टर का निर्माण एवं योजना निर्माण के क्रियान्वयन व अनुश्रवण हेतु चार्ज ऑफिसर का चयन।	चूंकि ग्राम पंचायतों की संख्या के सापेक्ष ग्राम पंचायत सचिवों की संख्या कम है इस कारण योजना निर्माण प्रक्रिया बाधित हो सकती है। अतः योजना निर्माण प्रक्रिया के बेहतर संचालन हेतु प्रत्येक 10 ग्राम पंचायतों पर 1 क्लस्टर के निर्माण का निर्णय लिया गया है। निर्मित क्लस्टर पर विभिन्न विभागों के विकास खण्ड स्तरीय अधिकारियों/कर्मचारियों (पंचायती राज विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, सांख्यिकी विभाग, पशुपालन विभाग, समेकित बाल विकास परियोजना विभाग, साक्षरता एवं वैयक्तिक शिक्षा, पशु चिकित्सा विभाग, सिंचाई विभाग) को पृथक–पृथक रूप से प्रभारी चार्ज ऑफिसर नियुक्त किया जाना अपेक्षित है जो योजना निर्माण की प्रक्रिया का बेहतर क्रियान्वयन व अनुश्रवण सुनिश्चित् करेंगें। योजना निर्माण करने हेतु दो रिसोर्स व्यक्तियों की सेवाओं को विषय विशेषज्ञ के रूप में लिया जा सकता है। जनपदों द्वारा निर्मित क्लस्टर एवं क्लस्टर में आने वाली ग्राम पंचायतों के नामों के साथ प्रत्येक क्लस्टर पर नियुक्त चार्ज ऑफिसर का विवरण निदेशालय द्वारा निर्धारित प्रारूप (संलग्नक–2) पर निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।
3.	वातावरण निर्माण	क्लस्टर स्तर पर ग्राम पंचायत रिसोर्स ग्रुप का निर्माण। (कृपया मार्ग	क्लस्टर स्तर पर रिसोर्स ग्रुप का गठन चार्ज ऑफिसर, ग्राम पंचायतों के सचिव, वार्ड के सदस्य, कार्यरत विभागों के खण्ड स्तरीय/ग्राम स्तरीय अधिकारियों/कर्मचारियों एवं दो रिसोर्स व्यक्ति को मिला कर किया जायेगा।

Jaigovind Pandey

		निर्देशिका का पृष्ठ सं0 39 का संदर्भ ग्रहण करें)	ग्रुप का कार्य क्लस्टर के अन्तर्गत आने वाली सभी ग्राम पंचायतो की ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार कराना, पारिस्थितिक विश्लेषण करना, सहभागी नियोजन, योजना निर्माण, क्षमता संवर्धन के लिए रणनीति तैयार कराना इत्यादि सम्मिलित होगा।
4.	वातावरण निर्माण	जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन।	कार्यशाला के माध्यम से सभी विभागों के अधिकारियों व कर्मियों को शासनादेश एवं मार्गनिर्देशिका से अवगत कराना तथा जनपद स्तर पर की जाने वाली गतिविधियों हेतु रणनीति तैयार कर जिम्मेदारी सुनिश्चित करना।
5.	वातावरण निर्माण	जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर का चयन।	प्रत्येक जनपद से चार व्यक्तियों का मास्टर ट्रेनर के रूप में चयन कर निदेशालय को उपलब्ध कराना जो राज्य स्तर पर ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण की प्रक्रिया पर प्रशिक्षित होंगे तथा संदर्भ व्यक्ति के रूप में जनपद एवं ब्लाक स्तर पर प्रक्रिया से संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षित करेंगें। जनपद स्तर पर चयनित मास्टर ट्रेनर का विवरण निदेशालय द्वारा निर्धारित प्रारूप (संलग्नक–3) पर जनपद द्वारा निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।
7.	वातावरण निर्माण	जिला स्तरीय कार्यशाला के पश्चात् ग्राम सचिवों द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर बैठक कर समुदाय का उन्मुखीकरण करना।	कार्यशाला के पश्चात् ग्राम सचिवों द्वारा अधिकृत ग्राम पंचायतों में बैठक कर ग्राम पंचायत सदस्यों को ग्राम पंचायत विकास योजना के विषय पर संवेदित करना।

वातावरण निर्माण से संबंधित सभी गतिविधियों को निर्धारित समयावधि (20 दिसम्बर, 2015) तक पूर्ण कराया जायेगा।

8.	संवेदीकरण एवं क्षमता संवर्धन	राज्य स्तर पर मास्टर ट्रेनर का 6 दिवसीय एवं विभिन्न	• प्रत्येक जनपद से चयनित चार मास्टर ट्रेनर (कुल 300) राज्य स्तर पर ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण के

Jaigovind Pandey

		विभागों के अभियन्ताओं का 2 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	सम्बन्ध में 6 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षित किये जायेंगे। कुल 300 प्रतिभागियों को 6 बैचों में बांटकर तथा एक ही समय में तीन बैचों को प्रशिक्षित किया जायेगा। इस प्रकार 12 दिनों में 6 बैच के प्रतिभागी प्रशिक्षित होगें। प्रशिक्षण के दौरान ही प्रत्येक जनपद में जिला एवं खण्ड स्तर पर होने वाले प्रशिक्षणों हेतु रणनीति तथा समय–सारिणी भी तैयार की जायेगी। तैयार समय–सारिणी के अनुसार जिला पंचायत राज अधिकारी से चर्चा कर मास्टर ट्रेनर अपने जनपद में जिला एवं ब्लाक स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित कर संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षित करेंगें। (प्रशिक्षण की अनुमानित तिथि–11 से 23 जनवरी 2016) • विभिन्न विभागों के अभियन्ताओं का राज्य स्तरीय दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम। (प्रशिक्षण की अनुमानित तिथि–26 से 29 जनवरी 2016)
9.	संवेदीकरण एवं क्षमता संवर्धन	खण्ड स्तरीय अधिकारियों का जिला स्तरीय तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम।	खण्ड स्तरीय ए0डी0ओ0 पं0/बी0डी0ओ0 को मास्टर ट्रेनर जिला स्तर पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर प्रशिक्षित करेंगें। इस तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में खण्ड स्तरीय अधिकारी द्वितीय स्तर के मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित होंगें जो खण्ड स्तर पर आयोजित होने वाले प्रशिक्षणों में मुख्य भूमिका का निर्वहन करेंगें तथा जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर संदर्भ व्यक्ति के रूप में खण्ड स्तर के प्रशिक्षण का हिस्सा रहेंगें। उक्त प्रशिक्षण सभी जनपदों में एकसाथ आयोजित होगा। (प्रशिक्षण की संभावित तिथि–01 से 05 फरवरी 2016)

10.	संवेदीकरण एवं क्षमता संवर्धन	चार्ज ऑफिसर का खण्ड स्तरीय दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम।	क्लस्टर स्तर पर नियुक्त चार्ज ऑफिसर, ग्राम पंचायत / ग्राम विकास अधिकारियों और जे0ई0 की संख्या को देखते हुए सभी प्रतिभागियों को एक बैच में सम्मिलित करते हुए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन खण्ड स्तर पर किया जायेगा। जिसमें द्वितीय स्तर के मास्टर ट्रेनर मुख्य प्रशिक्षक तथा जनपद स्तरीय मास्टर ट्रेनर एवं अन्य विभाग के प्रतिनिधि संदर्भ व्यक्ति के रूप में होंगें। उक्त प्रशिक्षण सभी जनपदों के सभी विकास खण्डों में एकसाथ आयोजित होगा। (प्रशिक्षण की संभावित तिथि–15 से 19 फरवरी 2016)
11.		ग्राम पंचायत / ग्राम विकास अधिकारियों का दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम।	
12.		खण्ड स्तरीय जे0ई0 का खण्ड स्तर पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम।	
13.	संवेदीकरण एवं क्षमता संवर्धन	नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों का खण्ड स्तर पर दो दिवसीय उन्मुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम।	खण्ड स्तर पर आयोजित दो दिवसीय उन्मुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम में नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि प्रति ग्राम पंचायत (ग्राम प्रधान एवं वार्ड सदस्य) प्रतिभागी होंगे। ग्राम पंचायतों की संख्या के आधार पर प्रत्येक विकास खण्ड से दो क्लस्टर की ग्राम पंचायतों के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान एवं वार्ड सदस्यों को मिलाकर एक बैच का निर्माण होगा। इस प्रकार अनुमानतः 4–5 बैच में ब्लाक की सभी ग्राम पंचायतों के पंचायत प्रतिनिधि प्रशिक्षित होंगें। (प्रशिक्षण की संभावित तिथि– 01 से 18 मार्च 2016)
14.	ग्राम सभा बैठक	प्रारम्भिक बैठक का आयोजन	प्रशिक्षण के पश्चात् ग्राम पंचायत रिसोर्स ग्रुप द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर बैठक का आयोजन कर समुदाय को ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण के विषय पर संवेदित कर योजना निर्माण हेतु तिथि का निर्धारण किया जायेगा।
15.	पारिस्थितिक विशलेषण	प्रारम्भिक (Primary) एवं सहयोगी (Secondary)	ग्राम पंचायत स्तर पर मौजूद समस्याओं एवं उनके निवारण विषयक प्रारम्भिक एवं सहयोगी आंकडों का संकलन किया जायेगा जिसकी मदद से कार्यों का

		आंकडों का संकलन	प्राथमिकीकरण एवं परियोजना प्रस्ताव का निर्माण किया जा सकेगा। • सहयोगी आंकडों का संकलन मार्गनिर्देशिका के अध्याय 4–पारिस्थितिक विश्लेषण एवं सहभागी नियोजन में दिये गये क्षेत्रवार प्रारूपों एवं परिशिष्ट–ख के ग्राम पंचायत प्रोफाइल प्रारूप के माध्यम से किया जायेगा। • प्रारम्भिक आंकडों के लिए पी0आर0ए0 (Participatory Rural Appraisal) के विभिन्न टूल्स जैसे क्षेत्र भ्रमण (Transect Walk), सामाजिक मानचित्रण, संसाधनों का चित्रण, सर्वे इत्यादि के माध्यम से किया जायेगा।
16.	परियोजना प्रस्ताव निर्माण	कार्यो का प्राथमिकीकरण, परियोजना प्रस्ताव निर्माण एवं योजना को अंतिम रूप देना।	पारिस्थितिक विश्लेषण के माध्यम से इकट्ठा आंकडों की रिपोर्ट ग्राम पंचायत रिसोर्स ग्रुप द्वारा ग्राम सभा में चर्चा के लिए प्रस्तुत की जायेगी। बैठक में जन सामान्य की आवश्यकताओं एवं कार्यों का चिन्हीकरण तथा पंचायत के पास उपलब्ध संसाधनों के आधार पर आवश्यकताओं एवं कार्यों की प्राथमिकता तय की जायेगी। प्राथमिकताओं के आधार पर ग्राम पंचायत रिसोर्स ग्रुप द्वारा परियोजना प्रस्ताव तैयार किया जायेगा। योजना का ड्राफ्ट तैयार कर ग्राम सभा की खुली बैठक में चर्चा एवं अनुमोदन / स्वीकृति के लिए रखा जायेगा। स्वीकृति के पश्चात् वार्षिक एवं पंचवर्षीय ग्राम पंचायत विकास योजना को अंतिम रूप दिया जायेगा तथा ग्राम पंचायत के समक्ष प्रशासनिक स्वीकृति के लिए रखा जायेगा।
17.	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	प्रक्रिया एवं योजना में लिए गए कार्यो का	वार्षिक एवं पंचवर्षीय ग्राम पंचायत विकास योजना प्लान . प्लस सॉफ्टवेयर पर एवं प्रत्येक माह कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय

		अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	प्रगति एक्शन सॉफ्ट सॉफ्टवेयर पर अपलोड की जायेगी।

अतः दीर्घ कालिक विकास को ध्यान में रखते हुए पंचवर्षीय एवं वार्षिक ग्राम पंचायत विकास योजना को तैयार करने हेतु उपर्युक्त गतिविधियों को चरणबद्ध रूप में कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः

1. जिला स्तरीय क्रियान्वयन एवं समन्वयन समिति के कार्य।
2. क्लस्टर व चार्ज ऑफिसर विवरण हेतु प्रारूप।
3. मास्टर ट्रेनर विवरण हेतु प्रारूप।
4. ग्राम पंचायत विकास योजना का शासनादेश।
5. ग्राम पंचायत विकास योजना की मार्ग निर्देशिका।
6. प्रक्रिया संबंधी दस्तावेज।
7. क्षमता सवर्धन समय–सारिणी।

भवदीय

(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव।

संख्या– /33–3/2015 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याही हेतु

1.श्री एस0एम0विजयानंद, सचिव, भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय, नई दिल्ली।
2.कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3.प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4.प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0शासन।
5.प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, उ0प्र0शासन।
6.प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0शासन।
7.प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
8.प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
9.प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0शासन।
10.प्रमुख सचिव, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, उ0प्र0।
11.प्रमुख सचिव, सिचाई विभाग, उ0प्र0 शासन।
12.महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ।
13.समस्त मंडलायुक्त, उ0प्र0।
14.निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0।
15.समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
16.समस्त मंडलीय उपनिदेशक(पं0), उ0प्र0।
17.राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उ0प्र0।

Jaigovind Pandey

संख्याः 3215/ 33-3-2015-10जी.आई./2015

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1.समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

2.समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

पंचायती राज अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 11 दिसम्बर, 2015

विषय- ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार किये जाने हेतु जनपद में की जाने वाली गतिविधियों के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पंचायती राज विभाग के शासनादेश संख्याः 2618/33-3-2015-10 जीआई /2015 दिनांक 29 सितम्बर, 2015 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके अन्तर्गत ग्राम पंचायतों के समग्र विकास हेतु पंचायतों द्वारा स्वयं की ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार किये जाने के निर्देश दिये गये है।

उक्त शासनादेश के अन्तर्गत यह भी निर्देश दिये गये हैं कि ग्राम पंचायतें स्वयं की आय बढाने एवं समग्र विकास हेतु पंचवर्षीय एवं वार्षिक योजना का निर्माण करेंगी। ग्राम पंचायतों द्वारा तैयार की जाने वाली ग्राम पंचायत विकास योजना सहभागी नियोजन एवं विभिन्न संसाधनों के अभिसरण (कनवर्जेन्स) पर आधारित होगी।

उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ हैं कि ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण हेतु वर्णित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए जनपद से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक विभिन्न गतिविधियाँ सम्पादित की जानी है। गतिविधियों के क्रियान्वयन के दौरान आवश्यक है कि जन समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हो ताकि समुदाय की समझ बढे तथा समुदाय के लोगों में अपने उत्तरदायित्व का बोध हो सके। इन गतिविधियों के बेहतर क्रियान्वयन में जिला स्तरीय क्रियान्वयन एवं समन्वयन समिति (कृपया शासनादेश 29.09.2015 का पृष्ठ सं0 6 देखें) की भूमिका महन्वपूर्ण है। जनपद में योजना निर्माण की प्रक्रिया में आरम्भ से लेकर ग्राम पंचायतों द्वारा योजना का निर्माण पूर्ण होने तक जनपद से ग्राम पंचायत स्तर तक निम्नलिखित गतिविधियों का किया जाना आवश्यक है:-

क्र. सं.	विषय	गतिविधि	विवरण
1.	वातावरण निर्माण	जिला स्तरीय क्रियान्वयन एवं समन्वयन समिति का निर्माण, समिति	जनपद स्तर से ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण की प्रक्रिया का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन जिला स्तरीय समिति द्वारा 3 माह में एक बार किया जायेगा। इस पूरी प्रक्रिया के बेहतर क्रियान्वयन हेतु आवश्यक

Jaigovind Pandey

		निर्देशिका का पृष्ठ सं0 39 का संदर्भ ग्रहण करें)	ग्रुप का कार्य क्लस्टर के अन्तर्गत आने वाली सभी ग्राम पंचायतो की ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार कराना, पारिस्थितिक विश्लेषण करना, सहभागी नियोजन, योजना निर्माण, क्षमता संवर्धन के लिए रणनीति तैयार कराना इत्यादि सम्मिलित होगा।
4.	वातावरण निर्माण	जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन।	कार्यशाला के माध्यम से सभी विभागों के अधिकारियों व कर्मियों को शासनादेश एवं मार्गनिर्देशिका से अवगत कराना तथा जनपद स्तर पर की जाने वाली गतिविधियों हेतु रणनीति तैयार कर जिम्मेदारी सुनिश्चित करना।
5.	वातावरण निर्माण	जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर का चयन।	प्रत्येक जनपद से चार व्यक्तियों का मास्टर ट्रेनर के रूप में चयन कर निदेशालय को उपलब्ध कराना जो राज्य स्तर पर ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण की प्रक्रिया पर प्रशिक्षित होंगे तथा संदर्भ व्यक्ति के रूप में जनपद एवं ब्लाक स्तर पर प्रक्रिया से संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षित करेंगें। जनपद स्तर पर चयनित मास्टर ट्रेनर का विवरण निदेशालय द्वारा निर्धारित प्रारूप (संलग्नक–3) पर जनपद द्वारा निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।
7.	वातावरण निर्माण	जिला स्तरीय कार्यशाला के पश्चात् ग्राम सचिवों द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर बैठक कर समुदाय का उन्मुखीकरण करना।	कार्यशाला के पश्चात् ग्राम सचिवों द्वारा अधिकृत ग्राम पंचायतों में बैठक कर ग्राम पंचायत सदस्यों को ग्राम पंचायत विकास योजना के विषय पर संवेदित करना।
वातावरण निर्माण से संबंधित सभी गतिविधियों को निर्धारित समयावधि (20 दिसम्बर, 2015) तक पूर्ण कराया जायेगा।			
8.	संवेदीकरण एवं क्षमता संवर्धन	राज्य स्तर पर मास्टर ट्रेनर का 6 दिवसीय एवं विभिन्न	• प्रत्येक जनपद से चयनित चार मास्टर ट्रेनर (कुल 300) राज्य स्तर पर ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण के

Jaigovind Pandey

		विभागों के अभियन्ताओं का 2 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	सम्बन्ध में 6 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षित किये जायेंगे। कुल 300 प्रतिभागियों को 6 बैचों में बांटकर तथा एक ही समय में तीन बैचों को प्रशिक्षित किया जायेगा। इस प्रकार 12 दिनो में 6 बैच के प्रतिभागी प्रशिक्षित होगें। प्रशिक्षण के दौरान ही प्रत्येक जनपद में जिला एवं खण्ड स्तर पर होने वाले प्रशिक्षणों हेतु रणनीति तथा समय–सारिणी भी तैयार की जायेगी। तैयार समय–सारिणी के अनुसार जिला पंचायत राज अधिकारी से चर्चा कर मास्टर ट्रेनर अपने जनपद में जिला एवं ब्लाक स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित कर संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षित करेंगें। (प्रशिक्षण की अनुमानित तिथि–11 से 23 जनवरी 2016) • विभिन्न विभागों के अभियन्ताओं का राज्य स्तरीय दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम। (प्रशिक्षण की अनुमानित तिथि–26 से 29 जनवरी 2016)
9.	संवेदीकरण एवं क्षमता संवर्धन	खण्ड स्तरीय अधिकारियों का जिला स्तरीय तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम।	खण्ड स्तरीय ए0डी0ओ0 पं0/बी0डी0ओ0 को मास्टर ट्रेनर जिला स्तर पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर प्रशिक्षित करेंगें। इस तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में खण्ड स्तरीय अधिकारी द्वितीय स्तर के मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित होंगें जो खण्ड स्तर पर आयोजित होने वाले प्रशिक्षणों में मुख्य भूमिका का निर्वहन करेंगें तथा जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर संदर्भ व्यक्ति के रूप में खण्ड स्तर के प्रशिक्षण का हिस्सा रहेंगें। उक्त प्रशिक्षण सभी जनपदों में एकसाथ आयोजित होगा। (प्रशिक्षण की संभावित तिथि–01 से 05 फरवरी 2016)

Jaigovind Pandey

10.	संवेदीकरण एवं क्षमता संवर्धन	चार्ज ऑफिसर का खण्ड स्तरीय दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम।	क्लस्टर स्तर पर नियुक्त चार्ज ऑफिसर, ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारियों और जे0ई0 की संख्या को देखते हुए सभी प्रतिभागियों को एक बैच में सम्मिलित करते हुए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन खण्ड स्तर पर किया जायेगा। जिसमें द्वितीय स्तर के मास्टर ट्रेनर मुख्य प्रशिक्षक तथा जनपद स्तरीय मास्टर ट्रेनर एवं अन्य विभाग के प्रतिनिधि संदर्भ व्यक्ति के रूप में होंगें। उक्त प्रशिक्षण सभी जनपदों के सभी विकास खण्डों में एकसाथ आयोजित होगा। (प्रशिक्षण की संभावित तिथि–15 से 19 फरवरी 2016)
11.		ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारियों का दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम।	
12.		खण्ड स्तरीय जे0ई0 का खण्ड स्तर पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम।	
13.	संवेदीकरण एवं क्षमता संवर्धन	नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों का खण्ड स्तर पर दो दिवसीय उन्मुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम।	खण्ड स्तर पर आयोजित दो दिवसीय उन्मुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम में नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि प्रति ग्राम पंचायत (ग्राम प्रधान एवं वार्ड सदस्य) प्रतिभागी होंगे। ग्राम पंचायतों की संख्या के आधार पर प्रत्येक विकास खण्ड से दो क्लस्टर की ग्राम पंचायतों के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान एवं वार्ड सदस्यों को मिलाकर एक बैच का निर्माण होगा। इस प्रकार अनुमानतः 4–5 बैच में ब्लाक की सभी ग्राम पंचायतों के पंचायत प्रतिनिधि प्रशिक्षित होंगें। (प्रशिक्षण की संभावित तिथि– 01 से 18 मार्च 2016)
14.	ग्राम सभा बैठक	प्रारम्भिक बैठक का आयोजन	प्रशिक्षण के पश्चात् ग्राम पंचायत रिसोर्स ग्रुप द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर बैठक का आयोजन कर समुदाय को ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण के विषय पर संवेदित कर योजना निर्माण हेतु तिथि का निर्धारण किया जायेगा।
15.	पारिस्थितिक विशलेषण	प्रारम्भिक (Primary) एवं सहयोगी (Secondary)	ग्राम पंचायत स्तर पर मौजूद समस्याओं एवं उनके निवारण विषयक प्रारम्भिक एवं सहयोगी आंकडों का संकलन किया जायेगा जिसकी मदद से कार्यो का

		आंकडों का संकलन	प्राथमिकीकरण एवं परियोजना प्रस्ताव का निर्माण किया जा सकेगा। • सहयोगी आंकडों का संकलन मार्गनिर्देशिका के अध्याय 4–पारिस्थितिक विश्लेषण एवं सहभागी नियोजन में दिये गये क्षेत्रवार प्रारूपों एवं परिशिष्ट–ख के ग्राम पंचायत प्रोफाइल प्रारूप के माध्यम से किया जायेगा। • प्रारम्भिक आंकडों के लिए पी0आर0ए0 (Participatory Rural Appraisal) के विभिन्न टूल्स जैसे क्षेत्र भ्रमण (Transect Walk), सामाजिक मानचित्रण, संसाधनों का चित्रण, सर्वे इत्यादि के माध्यम से किया जायेगा।
16.	परियोजना प्रस्ताव निर्माण	कार्यों का प्राथमिकीकरण, परियोजना प्रस्ताव निर्माण एवं योजना को अंतिम रूप देना।	पारिस्थितिक विश्लेषण के माध्यम से इकट्ठा आंकडों की रिपोर्ट ग्राम पंचायत रिसोर्स ग्रुप द्वारा ग्राम सभा में चर्चा के लिए प्रस्तुत की जायेगी। बैठक में जन सामान्य की आवश्यकताओं एवं कार्यों का चिन्हीकरण तथा पंचायत के पास उपलब्ध संसाधनों के आधार पर आवश्यकताओं एवं कार्यों की प्राथमिकता तय की जायेगी। प्राथमिकताओं के आधार पर ग्राम पंचायत रिसोर्स ग्रुप द्वारा परियोजना प्रस्ताव तैयार किया जायेगा। योजना का ड्राफ्ट तैयार कर ग्राम सभा की खुली बैठक में चर्चा एवं अनुमोदन/स्वीकृति के लिए रखा जायेगा। स्वीकृति के पश्चात् वार्षिक एवं पंचवर्षीय ग्राम पंचायत विकास योजना को अंतिम रूप दिया जायेगा तथा ग्राम पंचायत के समक्ष प्रशासनिक स्वीकृति के लिए रखा जायेगा।
17.	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	प्रक्रिया एवं योजना में लिए गए कार्यों का	वार्षिक एवं पंचवर्षीय ग्राम पंचायत विकास योजना प्लान प्लस सॉफ्टवेयर पर एवं प्रत्येक माह कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय

		अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	प्रगति एक्शन सॉफ्ट सॉफ्टवेयर पर अपलोड की जायेगी।

अतः दीर्घ कालिक विकास को ध्यान में रखते हुए पंचवर्षीय एवं वार्षिक ग्राम पंचायत विकास योजना को तैयार करने हेतु उपर्युक्त गतिविधियों को चरणबद्ध रूप में कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः
1. जिला स्तरीय क्रियान्वयन एवं समन्वयन समिति के कार्य।
2. क्लस्टर व चार्ज ऑफिसर विवरण हेतु प्रारूप।
3. मास्टर ट्रेनर विवरण हेतु प्रारूप।
4. ग्राम पंचायत विकास योजना का शासनादेश।
5. ग्राम पंचायत विकास योजना की मार्ग निर्देशिका।
6. प्रक्रिया संबंधी दस्तावेज।
7. क्षमता सवर्धन समय–सारिणी।

भवदीय

(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव।

संख्या– /33–3/2015 तद्दिनांक।
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याही हेतु
1.श्री एस0एम0विजयानंद, सचिव, भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय, नई दिल्ली।
2.कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3.प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4.प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0शासन।
5.प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, उ0प्र0शासन।
6.प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0शासन।
7.प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
8.प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
9.प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0शासन।
10.प्रमुख सचिव, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, उ0प्र0।
11.प्रमुख सचिव, सिचाई विभाग, उ0प्र0 शासन।
12.महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ।
13.समस्त मंडलायुक्त, उ0प्र0।
14.निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0।
15.समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
16.समस्त मंडलीय उपनिदेशक(पं0), उ0प्र0।
17.राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उ0प्र0।

Jaigovind Pandey

18.प्रमुख सचिव, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 शासन।
19.प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
20.प्रमुख सचिव, व्यावसायिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से,

(महेन्द्र कुमार)
विशेष सचिव।

संलग्नक–1

जिला स्तरीय क्रियान्वयन एवं समन्वयन समिति के कार्य

1. ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण से संबंधित शासकीय आदेशों/प्रस्तावों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित कराना।
2. जिला एवं खण्ड स्तर पर अंतर विभागीय समन्वय को सुनिश्चित कराना।
3. विभिन्न योजनाओं विशेषतः मनरेगा और स्वच्छ भारत मिशन के संसाधनों के अभिसरण को सुनिश्चित कराना।
4. ग्राम पंचायत समूहों के सीमांकन को यथावश्यक मुख्य दिशा–निर्देशों के अंश के रूप में निर्धारित करना।
5. जिला स्तर पर वातावरण निर्माण सम्बन्धी गतिविधियों तथा मीडिया योजना के मध्य समन्वयन स्थापित कराना।
6. क्षेत्रीय के मुद्दों से जुडे प्रश्नों का उत्तर देना, अवश्यकता के अनुरूप समस्या का निवारण और संकट प्रबंधन करना।
7. ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण हेतु आवश्यक मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा उनकी स्पष्ट जिम्मेदारियॉ तय करना।
8. सभी संबंधित पक्षों का क्षमता निर्माण।
9. राज्य के दिशा–निर्देशों के अनुरूप ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण के लिए उपयोगी ग्राम पंचायतों के सभी सहायक आंकडों (**Secondary Data**) की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
10. तकनीकी मूल्यांकन और परियोजनाओं के अनुमोदन के मध्य समय से समन्वयन सुनिश्चित करना।
11. ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण की प्रक्रिया का जिला स्तर से अनुश्रवण व मूल्यांकन करना।
12. ग्राम पंचायत विकास योजना के कार्यान्वयन का अनुश्रवण करना।
13. जनपद में ग्राम पंचायत विकास योजना की स्थिति, उससे जुडे मुद्दों तथा सर्वोत्तम प्रयासों पर मूल्यांकन समिति को रिपोर्ट और राय देना।

जनपद स्तर पर निर्मित क्लस्टर एवं चयनित चार्ज ऑफिसर का विवरण

संलग्नक–2

क्रम सं0	जनपद	ब्लाक	ग्राम पंचायतों की संख्या	क्लस्टर की संख्या	क्लस्टर की पंचायतों के नाम	चार्ज ऑफिसर का नाम	चार्ज ऑफिसर का पद	चार्ज ऑफिसर का मोबाइल नं0	चार्ज ऑफिसर का ई–मेल
				क्लस्टर संख्या–1	1.				
					2.				
					3.				
					4.				
					5.				
					6.				
					7.				
					8.				
					9.				
					10.				
				क्लस्टर संख्या–2	1.				
					2.				
					3.				
					4.				
					5.				
					6.				
					7.				
					8.				
					9.				
					10.				

जनपद स्तर पर चयनित मास्टर ट्रेनर का विवरण

संलग्नक–3

क्रम सं0	जनपद	मास्टर ट्रेनर की संख्या	मास्टर ट्रेनर का नाम	विभाग का नाम	मास्टर ट्रेनर का मो0 नं0	मास्टर ट्रेनर का ई–मेल
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार किये जाने की प्रक्रिया

1- जन उन्मुखीकरण

- जनपद स्तर पर जिला स्तरीय क्रियान्वयन एवं समन्वयन समिति की बैठक एवं रणनीति का निर्माण
- क्लस्टर स्तर पर ग्राम पंचायत रिसोर्स ग्रुप का गठन
- ग्राम पंचायत विकास योजना मार्ग–दर्शिका का प्रकाशन
- 10 ग्राम पंचायतों पर 1 क्लस्टर का निर्माण
- जिला स्तरीय कार्यशाला के पश्चात् ग्राम सचिवों द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर बैठक कर समुदाय का उन्मुखिकरण करना।
- जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर का चयन
- जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन
- क्लस्टर स्तर पर योजना निर्माण के क्रियान्वयन व अनुश्रवण हेतु चार्ज ऑफिसर का चयन

2- संवेदीकरण एवं क्षमता संवर्धन

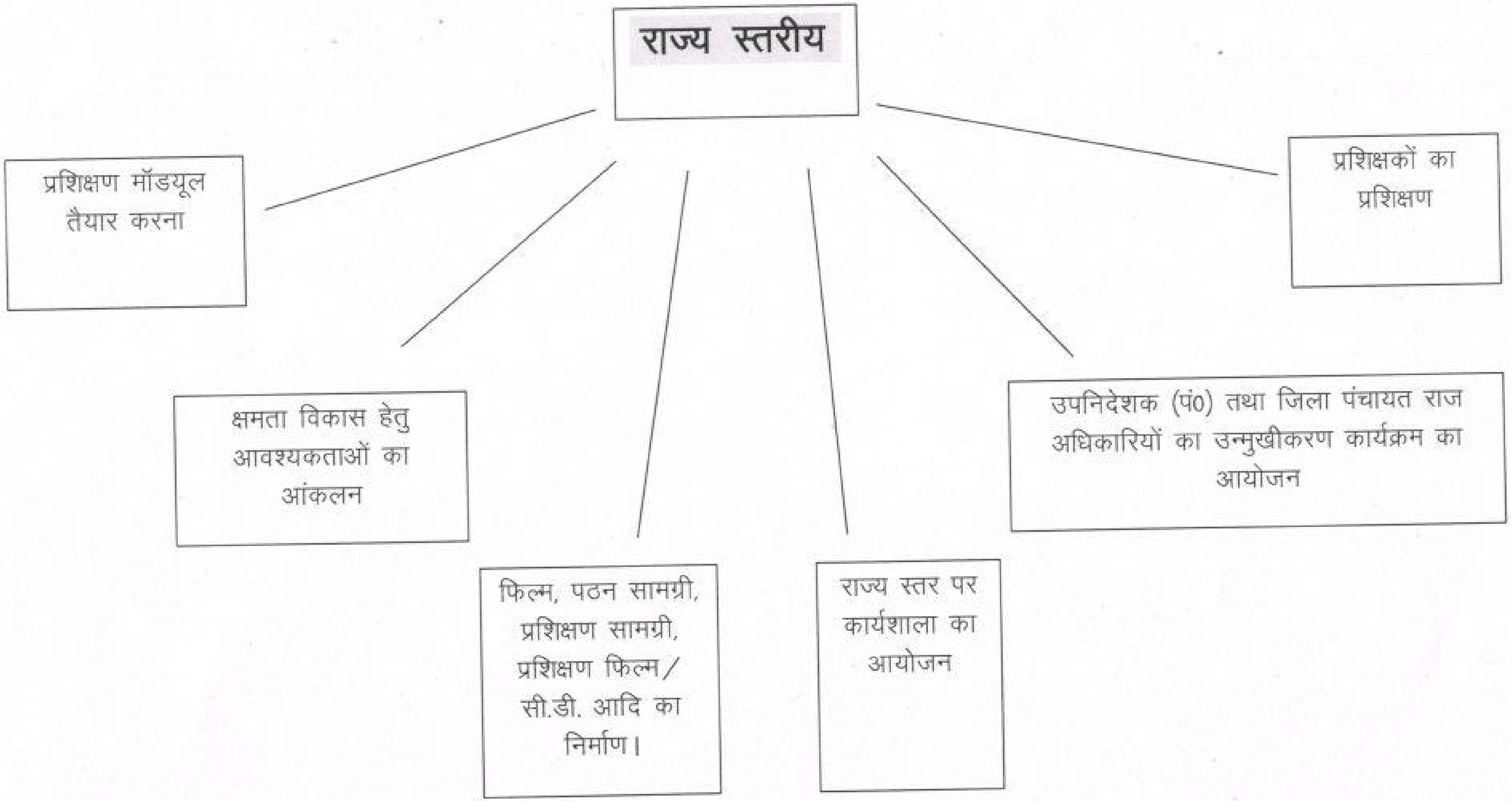

2-

संवेदीकरण एवं क्षमता संवर्धन

जिला एवं खण्ड स्तरीय

- विभिन्न विभागों के अभियन्ताओं का दो दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम
- चयनित पंचायत प्रतिनिधियों का 2 दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम
- खण्ड स्तरीय जे0ई0 का 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम
- खण्ड स्तरीय ग्राम पंचायत/ ग्राम विकास अधिकारियों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम
- खण्ड स्तरीय चार्ज ऑफिसर का 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम
- खण्ड स्तरीय अधिकारियों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

3-

प्रारम्भ में ग्राम सभा की बैठक का आयोजन

- **ग्राम पंचायत विकास योजना** तैयार करने हेतु ग्राम पंचायत स्तरीय बैठक का आयोजन।
- ग्राम पंचायत का **ग्राम पंचायत विकास योजना** तैयार करने हेतु तिथि निर्धारण।

4-

पारिस्थितिक विशलेषण

- ग्राम पंचायत स्तर के सहयोगी आंकड़े– Secondary Data
- ग्राम पंचायत स्तर के प्रारम्भिक आंकड़े
  - पी0आर0ए0 टूल्स
  - सर्वे, इत्यादि

4-

कार्यों का प्राथमिकीकरण एवं परियोजना प्रस्ताव तैयार करना

- पारिस्थितिक विश्लेषण की रिपोर्ट ग्राम सभा में चर्चा के लिए प्रस्तुत करना।
- ग्राम सभा की बैठक में जन सामान्य की आवश्यकताओं एवं कार्यो का चिन्हीकरण करना तथा पंचायत के पास उपलब्ध संसाधनों की जानकारी इकट्ठा करना।
- जन सामान्य की आवश्कताओं, पंचायत के पास उपलब्ध संसाधन तथा पारिस्थितिक विशलेषण को ध्यान में रखते हुए ग्राम सभा में आवश्यकताओं एवं कार्यो का प्राथमिकीकरण करना।
- ग्राम पंचायत तकनीकी ग्रुप एवं क्षेत्र पंचायत तकनीकी ग्रुप की सहायता से कार्यो का परियोजना प्रस्ताव तैयार करना।

5- ग्राम पंचायत विकास योजना को अंतिम रूप देना

- ग्राम पंचायत की नियोजन एवं विकास समित द्वारा ग्राम पंचायत विकास योजना का ड्राफ्ट तैयार करना।
- ग्राम सभा के समक्ष खुली बैठक में चर्चा एवं अनुमोदन/स्वीकृति के लिए रखना।
- ग्राम पंचायतें द्वारा पंचवर्षीय ग्राम पंचायत विकास योजना को ध्यान में रखते हुए अपनी वार्षिक ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करना।

6- ग्राम पंचायत द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति

- ग्राम सभा द्वारा स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना को ग्राम पंचायत के समक्ष प्रशासनिक स्वीकृति के लिए रखी जायेगी।

7-

परियोजना की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति

- रू0 50,000 तक की कार्ययोजना का अनुमोदन स्वयं ग्राम पंचायत द्वारा
- रू0 50,001 से रू0 250000 तक की कार्ययोजना का अनुमोदन सहायक विकास अधिकारी द्वारा
- रू0 250001 से रू0 500000 तक कार्ययोजना का अनुमोदन जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा
- रू0 500001 से उपर की कार्ययोजना का अनुमोदन जिलाधिकारी द्वारा

8-

योजना बनाने की प्रकिया एवं योजना मे लिए गए कार्यों का अनुश्रवण एवं मूल्याकंन

- पंचवर्षीय एवं वार्षिक ग्राम पंचायत विकास योजना को प्लान प्लस साफ्टवेयर (www.planningonline.gov.in) में अपलोड़ किया जाना।
- एक्शन सॉफ्ट सॉफ्टवेयर (www.reportingonline.gov.in) के माध्यम से प्रत्येक माह कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति को अपलोड किया जाना।
- योजना बनाये जाने की प्रकिया का शत् प्रतिशत निरीक्षण सहायक विकास अधिकारी द्वारा 03 माह में किया जाना।
- जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा 10 प्रतिशत निरीक्षण 03 माह में किया जाना।
- मण्डलीय उप निदेशक पंचायत द्वारा 05 प्रतिशत निरीक्षण 03 माह में किया जाना।
- मुख्य विकास अधिकारी द्वारा 02 प्रतिशत निरीक्षण 03 माह में किया जाना।
- सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा ग्राम पंचाायत के भ्रमण के समय ग्राम पंचायत विकास योजना का निरीक्षण किया जाना।

संलग्नक – 6

Training Calendar for GPDP

S.No.	Training	Number of participants per batch	Number of batches	Duration	Date of training	Resource person
1	State level workshop for planning and implementation of GPDP	80-90 (State level resource group, National level resource group, PR and line department representatives and Media persons)	1 at state level	2 days	30 to 31 Dec. 2015	State level resource persons and Subject matter specialist
2	TOT training for preparing master trainers at state level	300 (resource persons of SIRD, PR officials etc.)	6 at state level (three batches runs simultaneously)	12 days	11 to 23 Jan. 2016	State level resource persons and Subject matter specialist
3	Orientation cum training on GPDP to departmental officials	100 (State level officials, DDs and DPROs)	2 at state level	2 days	04 to 05 Jan. 2016	State level resource persons and Subject matter specialist
4	Two days training programme of the Engineers at state level	75	1 at state level		26 to 29 Jan. 2016	State level resource persons and Subject matter specialist
5	Block level officials training programme at district level	Approx. 25-40 (ADO panchayat and BDO)	1 batch in a district	3 days	01 to 5 Feb. 2016	Master trainer/ Engineer
6	Charge officer, Secretary and JEs training programme at block level	Approx. 40 (Charge officer, Secretary, Tech. Asst. MNREGA and JE)	1 batch at each block	2 days	15 to 19 Feb. 2016	Master trainer/ Engineer/ Block level officials
7	Panchayat representatives orientation training (Pradhan and Ward member) of two cluster at block level	2 cluster panchayat representative and ward members	4-5 batch at block level	2 days (total 8 to 10 days in a block)	01 to 18 March 2016	Master trainer/ Engineer/ Block level officials